छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 490 /वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 10/07/2017

प्रति,

संचालक
कोष, लेखा एवं पेंशन
छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन,
नया रायपुर

विषय :– वर्ष 2017–2018 के बजट आबंटन की संसूचना

वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 01/वित्त/ब–4/2017 दिनांक 01.04.2017 द्वारा वर्ष 2017–2018 के बजट आबंटन की संसूचना जारी की गई है। जिसके द्वारा प्रथम छमाही हेतु बजट आबंटन की प्रविष्टि सर्वर में किए जाने की समय–सीमा बजट नियंत्रण अधिकारियों हेतु दिनांक 22.4.2017 एवं जिला कार्यालयों हेतु दिनांक 26.04.2017 निर्धारित की गई है तथा इसके पश्चात आबंटन की प्रविष्टि सर्वर में वित्त विभाग की अनुमति से किए जाने के निर्देश हैं।

कतिपय विभागों से मुख्य सर्वर में आबंटन/पुनर्राबंटन की प्रविष्टि की अनुमति हेतु प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। अतः वित्त विभाग द्वारा प्रथम छमाही के लिए निर्धारित व्यय सीमा के अंतर्गत माह जुलाई–सितंबर 2017 के दौरान सर्वर में आबंटन/पुनर्राबंटन की प्रविष्टि की अनुमति हेतु संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को अधिकृत किया जाता है।

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव

पृ. क्रमांक 491 /वित्त/ब–4/2017 नया रायपुर, दिनांक 10/07/2017

प्रतिलिपि–

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
3. समस्त कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
4. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर
5. प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाईट में अपलोड करने हेतु

(कमल प्रीत सिंह)
विशेष सचिव